

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / एसीपी पार्ट-2-2023 / 22825 / 2025/27

दिनांक:- 30-1-25

—आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 15 (1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017, 11.12.2024 एवं 07.01.2025 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एमएसीपी/एसीपी में पे-मैट्रिक्स लेवल स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी / एमएसी पी की दिनांक	प्राप्त पे बैंड/ पे-मैट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पे/ पे-मैट्रिक्स लेवल
1-	जसप्रोत कौर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	श्रीगंगानगर	17.09.1993	17.09.2020 27 वर्ष	L-14	L-15
2-	सुमन गुप्ता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अलवर	21.09.1996	21.09.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
3-	विनोद कुमार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	धौलपुर	18.01.1996	18.01.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
4-	सत्यनारायण मीणा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बून्दी	29.09.1996	29.09.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
5-	सुभाष चन्द्र	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	हनुमानगढ़	16.03.1992	16.03.2019 27 वर्ष	L-14	L-15
6-	अशोक कुमार	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	30.11.1996	30.11.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
7-	शिव राम दत्त	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कोटा	04.07.1997	04.07.2024 27 वर्ष	L-14	L-15
8-	जायदा बानो	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कोटा	04.07.1997	04.07.2024 27 वर्ष	L-14	L-15
9-	सत्यनारायण मीणा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कोटा	03.10.1996	03.10.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
10-	राजेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	26.09.1996	26.09.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
11-	तुलसी कलासुआ	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	डूंगरपुर	30.09.1993	30.09.2020 27 वर्ष	L-14	L-15
12-	नरेन्द्र कुमार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	भरतपुर	05.07.1997	05.07.2024 27 वर्ष	L-14	L-15
13-	सैतान राम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	21.06.1997	21.06.2024 27 वर्ष	L-14	L-15
14-	भगवती कुमारी विशनोई	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	03.10.1996	03.10.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
15-	गोपाल लाल जाट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बीकानेर	05.06.1989	05.06.2016 27 वर्ष	L-14	L-15
16-	पीराराम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	वाडमेर	25.09.1993	25.09.2020 27 वर्ष	L-14	L-15

उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

शेष पृष्ठ 2 पर

DFA

j Ref No.: 12896506

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्गिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 30-1-25

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / एसीपी पार्ट-2-2023 / 22825 / 2025 / 27

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (ई0एस0आई0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
2. संबंधित रांयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभासी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश / निजी पत्रावली।

DFA

Kaj Ref No.: 12896506

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 29-01-2025 11:11:29

